

अधिकोषण योजना

1- योजना का उद्देश्य:- प्रदेश के कृषक सदस्यों को कृषि की आवश्यकताओं तथा उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

2- संगठन:- त्रिस्तरीय सहकारी ऋण ढाँचे के अन्तर्गत सहकारी कृषकों की आवश्यकतानुसार फसली ऋण समय से उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्था की गई है:-

प्रशासनिक व्यवस्था

- (1) राज्य स्तर पर आयुक्त एवं निबन्धक
- (2) मुख्यालय एवं मण्डल स्तर पर संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक/उप आयुक्त एवं उप निबन्धक
- (3) जनपद स्तर पर सहायक आयुक्त एवं जिला सहायक निबन्धक
- (4) तहसील स्तर पर अपर जिला सहकारी अधिकारी
- (5) विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)

संस्थागत व्यवस्था त्रिस्तरीय सहकारी ऋण ढाँचे को सुचारु रूप से चलाने तथा कृषक सदस्यों को निर्बाध रूप से फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत व्यवस्था की गई है:-

- (1) प्रदेश स्तर पर उ०प्र० सहकारी बैंक लखनऊ
- (2) जिले स्तर पर जिला सहकारी बैंक
- (3) न्याय पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ
- (4) दीर्घ कालीन सहकारी ऋण ढाँचे के लिये प्रदेश स्तर पर उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक तथा जनपद एवं तहसील स्तर पर बैंक शाखाएं कार्यरत हैं।

3- कार्य एवं दायित्व:- निबन्धक सहकारी समितियाँ उ०प्र० अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी का यह दायित्व है कि सहकारी कृषकों की आवश्यकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के मध्य विद्यमान क्रेडिट गैप की प्रतिपूर्ति हेतु नाबार्ड, राज्य सरकार एवं शीर्ष बैंक से आवश्यकतानुसार पुनर्वित्त की व्यवस्था कराये तथा कृषकों को समय से ऋण वितरित कराने के साथ ही साथ वितरित ऋण का समय से प्रतिदान की सुनिश्चित कराना है। शीर्ष बैंकों का दायित्व सहकारी कृषकों एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के मध्य विद्यमान क्रेडिट गैप की प्रतिपूर्ति हेतु निबन्धक को समय से अवगत कराना तथा संसाधनों को उपलब्धता की दशा में जिला सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना है ताकि जिला सहकारी बैंक समितियों के माध्यम से कृषक सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ऋण वितरण में सक्षम हो सके।

4- ऋण व्यवस्था

(अ) अल्पकालीन ऋण (फसली ऋण)

ऋण सीमा	ऋण की अवधि	ब्याज दर
5(पांच) वर्ष के लिये स्वीकृत की जाती है। नाबार्ड एवं शासन की अपेक्षानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभिन्न फसलों के लिये निर्धारित वित्तमान एवं कृषक द्वारा धारित भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार ऋण सीमा (निर्धारित वित्तमान कृषि योग्य भूमि) पैक्स स्तर पर निर्धारित की जाती है।	लाभार्थियों की ऋण सीमा दोनो फसलों के लिये स्वीकृत की जाती है, तथा लाभार्थी द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप ऋण आहरण तथा जमा करने की सुविधा प्रदान की जाती है।	दिनांक 1.4.2011 के पश्चात् 3.00 लाख तक के फसली ऋणों पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा किन्तु यदि किसी कृषक द्वारा ऋण की अदायगी नियत तिथि अथवा उससे पूर्व कर दी जाती है तो ऋण की सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी करते समय कृषको को 01 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त छूट (वर्ष 2013-14 में 3.00 प्रतिशत की छूट भारत सरकार द्वारा घोषित) के अतिरिक्त होगी। इस प्रकार वर्ष 2013-14 में कृषको द्वारा ऋण की समय से अदायगी करने पर 4.00 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट होगी अर्थात् कृषको के ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 3.00 प्रतिशत होगी। यदि नियत तिथि तक ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो 30 जून

		तक 7.00 प्रतिषत की दर से आहरण की तिथि से ब्याज चार्ज किया जायेगा तथा यदि ऋण की अदायगी 1.7.2012 अथवा उसके उपरान्त की जाती है तो अदायगी की तिथि तक सामान्य ब्याज दर पर 10.70 प्रतिषत एवं निर्धारित दर से दण्डनीय ब्याज दर 2.00 प्रतिषत चार्ज किया जायेगा। 3.00 लाख से ऊपर के फसली ऋणों पर ब्याज दर 11.25 प्रतिषत है।
--	--	--

3 वर्षों का अल्पकालीन ऋण वितरण विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	वर्ष	उपलब्धि	लामार्थी संख्या (लाख)	प्रतिलामार्थी ऋण वितरण (रु० में)
1	2014.15	7001.25	32.43	21589
2	2015.16	7460.16	28.29	26370
3	2016.17	6240.11	21.72	28729

(ii) लेखों की व्यवस्था:

दिनांक 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक वितरित कृषि ऋणों के ब्याज की मांग 01 अक्टूबर को लगाई जाती है तथा जिसकी वसूली 31 मार्च तक की जाती है। 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक वितरित ऋण में से 31 मार्च को अवषेष तथा रबी ऋण के ब्याज की मांग 01 अप्रैल को लगायी जाती है, जिसकी वसूली 31 जून तक की जाती है। किन्ही भी परिस्थितियों में बचे हुए चालू मांग (मूलधन एवं ब्याज) की बकाया धनराशि को जुलाई से दिसम्बर के मध्य वसूल किया जाना होता है।

(iii) ऋण प्राप्त करने की पात्रता:-

1- प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है। जिसमें सम्बन्धित सहकारी समिति का 20 रुपये का अंश क्रय किया जाना आवश्यक है।

2- कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है।

(iv) ऋण प्राप्त करने की मात्रा : निबन्धक सहकारी समिति उ०प्र० के परिपत्रांक सी-63/अधि० दिनांक 7.10.97 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभिन्न फसलों के लिये पृथक-पृथक निर्धारित वित्तमान एवं कृषक द्वारा धारित कृषि योग्य भूमि के आंकलन के अनुसार सामान्यतः 50 प्रतिशत अंश 'क' एवं 50 प्रतिशत अंश 'ख' के रूप में कृषक ऋण प्राप्त कर सकता है परन्तु निबन्धक की अनुमति से उक्त अनुपात के स्थान पर अंश 'क' एवं 'ख' का अनुपात घट बढ़ सकता है। जैसा कि पश्चिम क्षेत्र के आर्थिक रूप से सुदृढ़ कुछ जिला सहकारी बैंको द्वारा 75:25 के अनुपात में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है इसके अतिरिक्त 5 एकड़ तक भूमि धारित करने वाले निर्बल श्रेणी के कृषकों को उनके द्वारा क्रय किये गये हिस्से का 20 गुना तथा 5 एकड़ से अधिक वाले बड़े कृषक को उनके द्वारा क्रय किये गये हिस्से का 10 गुना पुर्न वित्त प्राप्त हो सकता है।

(ब) मध्यकालीन ऋण : प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति अथवा जिला सहकारी बैंक की शाखा के कृषक सदस्यों की आय में वृद्धि के लिये गाय बकरी मुर्गी तथा डनलप कार्ट ऋण विधिकरण योजना के अन्तर्गत आटो टैक्सी, कृषि यंत्र मिनी ट्रक, ट्रक इत्यादि कार्य के लिये मध्य कालीन ऋण वितरण की सुविधा उपलब्ध है।

ऋण सीमा	ऋण की अवधि	ब्याज दर

समय-समय पर निर्धारित यूनिट कास्ट तक ऋण की सीमा तक ऋण के प्रोमोट तथा एक कृषक सदस्य की जमानत पर ऋण दिया जा सकता है।	3 वर्ष से 5 वर्ष	समय-समय पर नाबार्ड/निबन्धक द्वारा निर्धारित ब्याज के अनुसार देय होता है वर्तमान में ब्याज दर निम्नानुसार है:- रु0 50,000/- तक 11.50% रु0 50,000/- से अधिक 12.00%
---	------------------	--

- पू लेखों की व्यवस्था: मध्यकालीन ऋण की माँग अल्पकालीन ऋण की माँग के साथ 1 अक्टूबर एवं 1 अप्रैल को लगाई जाएगी परन्तु मध्य कालीन ऋण की माँग लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि मध्यकालीन ऋण वितरण की तिथि से 6 माह बाद ही किस्त मांगे लगाई जाएगी।
- पू मध्य कालीन कनवर्जन ऋण : प्रदेश में घटित होने वाली दैवीय आपदाओं के कारण प्रभावित कृषकों की 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षतिग्रस्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी होने पर तथा राजस्व की वसूली स्थगित हो जाने पर कृषकों के अल्पकालीन फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित कर उन्हें कनवर्जन की सुविधा प्रदान की जाती है जिस हेतु सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक/संयुक्त निबन्धक सहकारी समितियाँ उ0प्र0 के माध्यम से प्रार्थना पत्र उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0 लखनऊ को भेजना आवश्यक है।
- पू ऋण प्राप्त करने की पात्रता :

- 1- प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति अथवा जिला सहकारी बैंक शाखा का सदस्य होना आवश्यक है।
- 2- याचित धनराशि के सम्बन्ध में एक प्रोनोट तथा एक कृषक सदस्य की जमानत देना आवश्यक है।

(स) दीर्घकालीन ऋण : उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा कृषि भूमि पर आर्थिक सुधार करने के लिये दीर्घ कालीन ऋण देकर कृषि उपज बढ़ाने तथा कृषकों के जीवन स्तर को उठाने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इस हेतु लघु सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, फलोधान, कृषि वानिकी एवं भूमि सुधार पशुपालन एवं कुक्कुट पालन, ट्रैक्टर, ट्राली इत्यादि के लिये आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

ऋण सीमा	ऋण की अवधि	ब्याजदर
योजनाओं के लिये पृथक सीमाएं हैं जैसे, (1) डेयरी दो पशु 10 ली0 मुर्गा ग्रेडेड भैंस/12 ली0 कास ब्रीड गाय-1,66,000/- से 1,88,000/- चार पशु 10 ली0 मुर्गा ग्रेडेड भैंस/12 ली0 कास ब्रीड गाय-3,24,800/- से 3,67,000/- (2) मिनी डेयरी 6 पशु-6,17,000/- 10 पशु-10,16,000/- (3) कार्मशियल ब्रायलर फार्म 1000 बर्ड-रु0 2,42,000/- 5000 बर्ड-16,11,000/- (4) लघु सिंचाई डीजल पम्प सेट की इकाई लागत	ऋण अदायगी की सीमा योजनानुसार अधिकतम 15 वर्ष है।	दिनांक 01.11.2011 से संशोधित बैंक की ब्याज दर निम्नानुसार है:- 2,00,000/- तक 14.00 प्रतिशत 2,00,000/- से अधिक 14.25 प्रतिशत।

8 हा० पा०- 30,000/-		
10 हा० पा०- 35,000/-		

3 वर्षों का दीर्घ कालीन ऋण वितरण का विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	वर्ष	उपलब्धि (रु० करोड़ में)
1	2014.15	590.35
2	2015.16	655.72
3	2016.17	235.61

ऋण प्राप्त करने की विधि:- क्षेत्र के उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा से 20/- के मूल्य का निर्धारित प्रारूप/प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उसे भरने के बाद निम्न अभिलेखों के साथ जमा करना होगा।

- (अ) लेखपाल से नवीनतम फसली खसरा खतौनी किसान बही की नकल या चकबन्दी से प्रभावित क्षेत्रों के आकार पत्र 5, 11, 45 अथवा 23 जो भी उपलब्ध हो।
 (ब) दो प्रमाणित फोटो
 (स) बकाया न होने का प्रमाण पत्र
 (द) प्रवेश शुल्क, तीन रु० प्रति सदस्य की दर से
 (ध) दस अग्रिम अंश धन 100/- प्रति अंश की दर से

निर्बल वर्ग के लिये विशेष सुविधाएं

- (अ) लघु एवं सीमान्त कृषकों से 6 प्रतिषत के स्थान पर 5 प्रतिषत अंश धन लिया जाता है
 (ब) प्रशासनिक शुल्क 1/- रु० प्रति सैकड़ा के स्थान पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा लिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 250/- मात्र है।
 (स) लघु एवं सीमान्त कृषकों की प्रतिभूति कम होने की दशा में संयुक्त ऋण की भी सुविधा प्रदान की जाती है।
 (द) शासन की योजनाओं में प्राप्त अनुदान कृषकों के खातों में समायोजित कर दिया जाता है।

कृषकों से अपील:-

समय से ऋण लो।
 समय से वापस करो।
 जिस हेतु ऋण लो।
 उसी मद में प्रयोग करो।

कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु नियुक्त अधिकारी

- | | |
|------------------|---|
| 1. विकास स्तर पर | सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) |
| 2. तहसील स्तर पर | अपर जिला सहकारी अधिकारी |
| 3. जिले स्तर पर | (1) सहायक आयुक्त एवं जिला सहायक निबन्धक सहकारिता, उ०प्र०
(2) सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि० |

- (1) क्षेत्रीय उप आयुक्त एवं उप निबन्धक सहकारिता, उ०प्र०
- (2) क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०

संचालित योजनायें

राष्ट्रीय कृषि बीमा:-

प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2000 के शासनादेश सं० 2353/12.2.2000-60(4)/189 दिनांक 24.06.2000 द्वारा लागू की गई थी तदोपरान्त भारत सरकार द्वारा खरीफ 16 से संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के स्थान पर 1.4.2016 से नयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् है-

1-प्राकृतिक आपदाओं, कमियों एवं रोगों के कारण किसी भी संसूचित फसल के प्रभावित होने की स्थिति में पैदावार में कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान है।

2-ऐसे सभी किसान जो संसूचित क्षेत्रों में संसूचित फसल उगा रहे हैं तथा वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से मौसम विशेष में फसली ऋण प्राप्त कर रहे हैं अर्थात् ऋणी किसान अनिवार्य रूप से योजना में सम्मिलित किये जायेंगे।

3-ऐसे किसान जो बैंक से फसली ऋण नहीं ले रहे हैं (गैर ऋणी किसान) परन्तु योजना में आने की इच्छा रखते हैं, स्वैच्छिक आधार पर सम्मिलित हो सकते हैं।

4-योजना ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य तथा गैर ऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक है।

5-योजनान्तर्गत संसूचित फसल हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर से प्रीमियम देय होगा।

6-योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषक जिनकी जोत 2 हेक्टेअर या उससे कम हो, को देय प्रीमियम का 10 प्रतिशत राज्य सहायता (अनुदान) के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। जिसे केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समता के आधार पर वहन किया जाता है।

योजना खरीफ 2000 से लागू किये जाने से लेकर अब तक (रबी 2015-16) जिला सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स के माध्यम से कुल 1049.47 लाख कृषकों को वितरित 7584.60 करोड़ रु० का फसली बीमा कराया गया तथा भारतीय कृषि बीमा कम्पनी अधिकृत कम्पनियों द्वारा 185.09 करोड़ रु० का प्रीमियम भुगतान किया गया जिसके विरुद्ध खरीफ 15 तक कुल 22.52 लाख कृषकों को 397.38 करोड़ रु० का बीमा क्लेम का भुगतान भारतीय कृषि बीमा कम्पनी द्वारा दिया गया है। रबी 2015-16 में कराये गये बीमा का क्लेम स्वीकृत होना अवशेष है।

किसान क्रेडिट कार्ड:-

प्रदेश में पैक्स के माध्यम से सहकारी कृषकों के क्रेडिट कार्ड योजना दिसम्बर 1999 में लागू की गई। यह ऋण कृषक सदस्यों को फसल तैयार करने हेतु नगद एवं वस्तु के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया जाता है। जिसके अन्तर्गत समिति के सदस्य समिति से अपनी निर्धारित ऋण सीमा के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु जब भी चाहे तथा जितनी बार चाहे ऋण ले सकता है तथा अपनी सुविधानुसार ऋण वापस कर सकता है। वर्ष 2016-17 में दिनांक 31.3.17 तक 0.93 लाख सदस्यों को नये किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये तथा 3.79 लाख कार्ड का नवीनीकरण किया गया।

स्वयं सहायता समूह:-

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे निर्धन व्यक्ति जो किन्ही कारणों से अभी तक सहकारी बैंक/पैक्स से नहीं जुड़े हुए हैं तथा अपनी ऋण आवश्यकता की पूर्ति हेतु ग्रामीण साहूकारों पर निर्भर हैं। उनके आर्थिक उत्थान हेतु ऐसे व्यक्तियों का समूह बनाकर तथा उनको बैंक की शाखाओं/मिनी बैंकों से सम्बद्ध कर वित्त पोषण करने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी हो, का समूह बनाकर जिसमें 10 व्यक्ति एवं अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं, के गठन के 6 माह पश्चात् उनकी कुल बचत का 1 से 4 गुना तक वित्त पोषण किये जाने की व्यवस्था है। 31 मार्च 2017 तक 7251 द्वारा 550.87 लाख रु० की धनराशि बचत खातों में जमा कराई गई तथा 62.47 लाख रु० का ऋण वितरित किया गया।